फाइल सं.616/1/2007- एन सी-I

राजस्व विभाग

वित्त मंत्रालय

भारत सरकार

<u>"एक्सप्रेशन ऑफ इन्टेरेस्ट" (ईओआई) का आमंत्रण</u>

ऐसे मर्यादित भारतीय परामर्शदाता एजेंसियों से "एक्सप्रेशन ऑफ इन्टेरेस्ट" (ईओआई) को आमंत्रित किया जा रहा है जिनके पास राजस्व विभाग को "प्रस्ताव के लिए अनुरोध" (आरएफपी) संबंधी कागजातों को तैयार करने में और अफीम पोस्त की फसल से कंसनट्रेटेड कोपी स्ट्रा (सीपीएस) के उत्पादन और उससे अलकलायड निकालने के लिए उत्पादन इकाईयों की स्थापना करने के बारे में राजस्व विभाग को सलाह देने के उद्देश्य से अपेक्षित विशेषज्ञता और अनुभव हो। कार्य क्षेत्र से संबंधित ब्यौरे अनुबंध-I में दिये गये और साथ-ही-साथ इन्हें नोटिस में भी दिया जा रहा है। प्रेषिती फर्म/कंपनी/पार्टनरशिप/प्रोपराइटरशिप फर्म को अनुबंध-I में यथा उल्लिखित सुसंगत ब्यौरों और उनके समर्थन में कागजातों के साथ अपना एक्सप्रेशन ऑफ इन्टेरेस्ट (ईओआई) **06/04/2021** को या उसके पहले निदेशक (स्वापक नियंत्रण), राजस्व विभाग, कमरा नं. 48-सी, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001 के पास किसी भी संचार माध्यम के द्वारा प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिए। किसी भी प्रकार की पूछताछ के लिए अधोहस्ताक्षरकर्ता से दूरभाष सं. 011-23092686 या ई-मेल dirnc-dor@nic.in पर संपर्क किया जा सकता है।

(दिनेश बौद्ध)

निदेशक (स्वापक नियंत्रण),

राजस्व विभाग,

कमरा सं. 48-सी

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001

अनुबंध-I

ओपीएम पोस्त की फसल से सान्द्र पोस्त भूस (सीपीएस) के उत्पादन के लिए और फिर उसके बाद उससे अल्कलायड के विनिर्माण के लिए प्रस्ताव के लिए अनुरोध के कागजात तैयार करने और इसके उत्पादन इकाईयों की स्थापना को अंतिम स्वरूप देने के लिए परामर्श देने हेतु परामर्शदाता की नियुक्ति हेतु "एक्सप्रेशन ऑफ इन्टेरेस्ट" (ईओआई) का आमंत्रण!

एक्सप्रेशन ऑफ इन्टेरेस्ट

i. **उद्देश्य और प्रस्तावना**

भारत उन कुछ देशों में आता है जहां अफीम पोस्त की खेती की अनुमति दी जाती है और उससे निर्यात के लिए अफीम के गोंद को तैयार करने और उससे अल्कलायड के निष्कर्षण की भी अनुमति दी जाती है। किसानों को अफीम को उगाने के लिए लाइसेंस दिया जाता है और इस प्रकार की सारी अफीम को केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो (सीबीएन) के द्वारा खरीद लिया जाता है और उसको नीमच (मध्य प्रदेश) और गाजीपुर (उत्तर प्रदेश) स्थित सरकारी अफीम एवं क्षारोद कारखाना (जीओएडब्ल्यू) के पास इसके प्रसंस्करण करने के लिए अंतरित कर दिया जाता है। ऐसी अफीम के कुछ हिस्से का निर्यात कर दिया जाता है लेकिन इसका ज्यादातर हिस्सा जीओएडब्ल्यू के द्वारा इससे अल्कलायड का निष्कर्षण करने में प्रयोग किया जाता है। भारत में अल्कलायड का उत्पादन करने के लिए अफीम का उपयोग करने की अनुमति केवल जीओएडब्ल्यू को ही होती है और इस प्रकार के अल्कलायड का प्रयोग चिकित्सा में प्रयोग हेतु किया जाता है। भारत में केवल जीओएडब्ल्यू को ही अल्कलायड के उत्पादन के लिए अफीम का प्रयोग करने की अनुमति है। अंतर्राष्ट्रीय रूप से भी अफीम के कच्चे माल पर केवल कुछ ही कंपनियों का नियंत्रण होता है जो कि इस प्रकार की अफीम पोस्त की खेती से अल्कलायड का उत्पादन करती हैं। अफीम पोस्त की खेती के उत्पाद से अल्कलायड निष्कर्षण की केवल दो ही विधियां हैं-

i. अफीम के गोंद से निष्कर्षण और

ii. पोस्त भूस के सान्द्र (सीपीएस) से निष्कर्षण

इस समय भारत में केवल अफीम के गोंद का ही उत्पादन होता है। भारत सरकार ने देश में इस सीपीएस के उत्पादन को भी शुरू करने का निर्णय लिया है। इस उद्देश्य के लिए अफीम पोस्त की खेती से सान्द्र पोस्त भूस (सीपीएस) के उत्पादन और ऐसे सीपीएस से फिर आगे अल्कलायड के निष्कर्षण के लिए उत्पादन इकाईयों की स्थापना के लिए प्रस्ताव हेतु अनुरोध को जारी किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस सूचना के तहत उन प्रतिष्ठित फर्मों/कंपनियों/पार्टनरशिप/प्रोपराइटरशिप फर्मों को आमंत्रित किया जा रहा है जो कि सरकारी व निजी भागीदारी मॉडल (पीपीपी) समेत यथोचित मॉडल के अंतर्गत अफीम पोस्त की खेती से सान्द्र पोस्त भूस (सीपीएस) के उत्पादन और फिर उससे अल्कलायड के निष्कर्षण के लिए इसके उत्पादन इकाईयों की स्थापना के लिए प्रस्ताव के लिए अनुरोध को जारी करने/उसको तैयार करने की प्रक्रिया में और उसको अंतिम रूप देने में सरकार को सहयोग दे सकती है।

ii. परामर्शदाता के कार्य के उद्देश्य और उसका विस्तारः-

परामर्शदाता से अपेक्षा की जाती है कि वह सीपीएस की खेती के लिए और ऐसे सीपीएस से अल्कलायड के निष्कर्षण के लिए इकाईयों की स्थापना के लिए आरएफपी को तैयार करने और उसको अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में अपना योगदान देगा। इसका अर्थ यह होगा कि वह प्रस्तावित आरएफपी से संबंधित सभी प्रकार की तैयारी का कार्य पूरा करेगा और इसमें अन्य बातों के अलावा वे बातें भी आएंगी जो आरएफपी की प्रवृत्ति के बारे में राजस्व विभाग को सलाह देने और उसकी मदद करने तक ही सीमित नहीं रहेंगी और समयवद्ध नियोजन में भी वह सलाह और सहायता देगाः सीपीएस आधारित इकाईयों की स्थापना की प्रक्रिया में अपेक्षित मध्यवर्ती जरूरतों के बारे में भी वह सिफारिश करेगा और वह यथोचित कार्य क्षेत्र के समेत इनका पता लगाने और चयन करने में भी मदद करेगा।

इसके कार्य क्षेत्र में निम्नलिखित बाते होंगीः-

क. ऐसा सलाहकार वित्तीय मॉडल परियोजना की संरचना, व्यापक लागत अनुमान और परियोजना की समयवद्धता के बारे में अपना सुझान देगा।

ख. ऐसे परामर्शदाता पर कागजातों के सम्पूर्ण सेट की तैयारी की जिम्मेदारी होगी और उसपर राज्य/संघ के कानूनों के अनपालन, नीतियों और दिशानिर्देशों और सुस्थापित दोहरी बोली प्रणाली के अनुसार काम करने की भी जिम्मेदारी होगी।

ग. ऐसे कागजातों में आरएफपी बोली के मूल्यांकन के मानदण्ड, मसौदा रियायत करार आएंगे और इनका ऐसी परियोजना की आवश्यकताओं और विभाग के निर्देशों के अनुरूप होना आवश्यक है।

घ. ऐसा परामर्शदाता विभाग की इस तरह से मदद करेगा कि उसकी नियुक्ति के 3 माह के भीतर आरएफपी को जारी किया जा सके।

ङ. ऐसा परामर्शदाता पूर्व अर्हता प्रक्रिया को तैयार करने और उसको लागू करने का काम अवश्य करेगा जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होगा कि सीपीएस के उत्पादन और ऐसे सीपीएस से किये जाने वाले निष्कर्षण के संबंधित विभाग के हित को भावी विपणन भागीदारों को संप्रेषित किया जा सके।

च. ऐसा परामर्शदाता यथोचित रूप में प्रतिस्पर्धात्मक संख्या में अर्हता पूर्व बोलीकर्ताओं का खुले और पारदर्शी तरीके से मूल्यांकन करने में विभाग की मदद करेगा और ऐसी सुस्पष्ट और समेकित अर्हता पूर्व प्रक्रिया को और अनुपालन रिपोर्ट को भी तैयार करेगा।

छ. ऐसा परामर्शदाता इस विभाग को ऐसा हर आवश्यक प्रशासनिक समर्थन देगा जिससे कि बोली की प्रक्रिया का कुशलतापूर्वक और व्यवसायिक ढंग से प्रबंधन हो सके, विभाग और बोलीकर्ताओं के बीच संरचनात्मक संपर्क हो सके और विभाग को यथोचित बोलीकर्ताओं के साथ संपर्क करने और उनसे बोलियों को प्राप्त करने में मदद की जा सके।

ज. एक मूल्यांकन समिति, जिसे ऐसे परामर्शदाता से सहायता प्राप्त होगी, आरएफपी में यथा निर्धारित बोली मूल्यांकन मांदण्डों के अनुसार ऐसी बोलियों का मूल्यांकन करेगी।

झ. ऐसा परामर्शदाता इस विभाग को अंतिम रियायती करार, शेयर होल्डर्स करार, आदि, जो भी लागू हो पर हस्ताक्षर करने से संबंधि मामलों में अपनी सहायता देगा।

ञ. ऐसा परामर्शदाता निष्कर्षण आधारित सीपीएस की स्थापना के लिए जैसा जरूरी होगा उस तरह से एनडीपीएस एक्ट, 1985 और एनडीपीएस रूल्स, 1985 में आवश्यक संशोधन करने के बारे में अपना सुझाव देगा।

ट. ऐसा परामर्शदाता उस अनुकूलतम क्षेत्र के बारे में अपना सुझाव देगा जिसको सीपीएस की विभिन्न किस्मों के उत्पादन के लिए लाइसेंस दिया जाना होगा।

ठ. ऐसा परामर्शदाता कारखाने और खेतों में सुरक्षा के बारे में सुझाव देगा।

ड. ऐसा परामर्शदाता कारखाना लगाने के लिए और उत्पादन आरम्भ करने के लिए समय-सीमा भी बताएगा।

ढ. ऐसा परामर्शदाता कारखाना लगाने के कार्य की प्रगति और उत्पादन के आरम्भ का समय-समय पर निरीक्षण करेगा।

ण. ऐसा परामर्शदाता एक कानूनी विवाद समाधान तंत्र उससे संबंधित प्रावधान प्रदान करेगा।

त. विभाग परियोजना की आवश्यकता के अनुसार उसे अंतिम रूप देने के लिए जिन आवश्यक इनपुट्स की आवश्यकता परामर्शदाता को होगी, उसे प्रदान करेगा।

उपरोक्त उल्लिखित संदर्भ की शर्तें सूचक और गैर-प्रतिबंधात्मक मात्र हैं। उपरोक्त कार्य के क्षेत्र में कुछ ऐसी सेवाएं भी हैं जो सीधे तौर पर सुसंगत नहीं हैं, विभाग के ध्यान में लाये जाने के बाद उसे कार्य के क्षेत्र का एक अभिन्न अंग भी माना जाएगा।

iii. योग्यता मानदण्डः

आवेदक निम्नलिखित मानदण्ड के पक्ष में दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत करेगाः-

क. आवेदक भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956/भागीदारी अधिनियम, 1932 के अंतर्गत एक पंजीकृत फर्म/कंपनी/भागीदार/प्रोपराइटरशिप फर्म हो सकती है और उनका पंजीकृत कार्यालय भारत में और एक कार्यालय दिल्ली राजधानी क्षेत्र में होना अनिवार्य है।

ख. आवेदक को निजी क्षेत्र/पीपीपी मॉडल में आएफपी में कम-से-कम 5 वर्षों का अनुभव होना चाहिए और भारत सरकार के लिए ऐसी परियोजना पर कार्य किया हो।

ग. वार्षिक वित्तिय रिपोर्टों के समर्थन में पिछले तीन वर्षों के वित्तिय करोबार का विवरण।

घ. आवेदन जमा करते समय प्रार्थी के लिए केंद्र सरकार के किसी विभाग/एजेंसी, राज्य सरकार के विभाग/एजेंसी की ओर से कोई बाध्यता नहीं होनी चाहिए। [प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा घोषणापत्र सहित अथवा यथा स्थिति प्रस्तुत करना]

ङ. प्रार्थी की किसी ऐसे सीपीएस विशेषज्ञ तक पहुंच होनी चाहिए जो प्रौद्योगिकी को अपनाने के बारे में विशेष सहायता प्रदान कर सके।

च. प्रार्थी को पिछले 10 वर्षों में एनडीपीएस एक्ट/सीपीसी के तहत किसी अपराध के लिए दोषी न सिद्ध किया गया हो।

iv. **प्रौद्योगिकी मूल्यांकन के मानदण्डः-** उपरोक्त उल्लिखित न्यूनतम पात्रताओं को पूरा करने वाले बोलीदाताओं पर ही प्रौद्योगिकी मूल्यांकन के लिए विचार किया जाएगा। परामर्शदाताओं का चुनाव निम्नलिखित तकनीकी मानदण्डों के आधार पर किया जाएगा।

क्रम. सं.	मानदण्ड	मूल्यांकन मापदंड
	समग्र	**100 अंक**
क	**वित्तिय उद्धरण**	**20 अंक**
ख	**अपेक्षित अनुभाग**	**40 अंक**
	किसी सरकारी निकाय में पीपीपी के माध्यम से एक आधारभूत परियोजना में निजी साझेदार के चयन के लिए- सरकार, नियामक आयोग, प्राधिकरण, कानूनी विभाग या सार्वजनिक क्षेत्रीय ईकाई में लेन-देन सम्बंधी सलाह/परामर्श सेवाएं (बोली लगाने की प्रक्रिया के प्रबंधन व दस्तावेज तैयार करने समेत) प्रदान करने का अनुभव	i. दो परियोजनाएं- 10 अंक ii. तीन परियोजनाएं- 20 अंक iii. पांच परियोजनाएं- 30 अंक
	किसी सरकारी निकाय में पीपीपी आधार पर अथवा निजी क्षेत्र में किसी आधारभूत परियोजना में रियायती अनुबंध में निगरानी और प्रबंधन के लिए परामर्श प्रदान करने का अनुभव।	एक परियोजना - 10 अंक
ग	संगठन के अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या निम्न निर्देशक श्रेणियों में पेशेवर योग्य कर्मचारियों की उपस्थिति	**10 अंक** **टीम लीडर** i. आधारभूत विकास परियोजनाओं में परामर्श सेवाएं प्रदान करने का न्यूनतम 10 वर्षों का अनुभव हों। साथी ही पीपीपी आधार पर आधाभूत परियोजनाओं के विकास में लेनदेन सम्बन्धी सलाह देने की सेवाओं का भी अनुभव हो।

		ii. **कानूनी विशेषज्ञ** कानून विषय में स्नातक (Bachelor of law) होने के साथ पीपीपी परियोजनाओं के कानूनी पहलुओं, सरंचना और किसी पीपीपी परियोजना के सभी कानूनी दस्तावेजों का पुनरीक्षण, एनडीपीएस अधिनियम आदि के नियामक और कानूनी पहलूओं पर सलाह प्रदान करने का 10 वर्ष से अधिक का अनुभव हो। iii. **सीपीएस विशेषज्ञ** किसी सीपीएस आधारित ईकाई में सीपीएस की खेती व एल्कलाइड की निकासी से सम्बन्धित अनुभव हो।
घ	तकनीकी दृष्टिकोण, पद्धति, सीपीएस अनुभव, व्यापक समय सीमा को शामिल करके बनाई गई कार्य योजना।	**30 अंक**
i	परियोजना और दृष्टि का बोध,	10 अंक
ii	तकनीकी दृष्टिकोण और पद्धति	5 अंक
iii	समय अनुसूची समेत कार्ययोजना	5 अंक
iv	सीपीएस में सीपीएस खेती और एल्कलाइड की निकासी के क्षेत्र में अनुभव	10 अंक

v. **बोली का मूल्यांकनः-**

क. विभाग द्विस्तरीय बोली व्यवस्था (तकनीकी बोली और वित्त बोली) का अनुसरण करेगा और इसका उसी प्रकार से मूल्यांकन किया जाएगा।

ख. राजस्व विभाग की एक समिति, अनुच्छेद iv में उल्लिखित किए गए बोलीदाताओं के मानदण्डों का मूल्यांकन करेगी और वित्तीय बोली के लिए उनकी छंटनी करके उन्हें सूचीबद्ध करेगी।

ग. बोलीदाताओं को सूचीबद्ध करने के बाद समिति वित्तिय बोली आरंभ करेगी। सूचीबद्ध के गए बोलीदाताओं द्वारा प्राप्त अंकों की घोषणा वित्तिय बोली शुरू करने से पहले की जाएगी।

घ. मूल्यांन का कार्य गुणवत्ता-सह-लागत आधारित व्यवस्था (QCBS) के आधार पर 20% बल वित्तिय बोली को और 80% तकनीकी बोली को देते हुए $ए_1$, $एच_2$, $एच_3$ और आगे का निर्धारण करने के लिए किया जाएगा।

ङ. बोलीदाताओं के मध्य यदि दो पक्ष बराबरी पर हों, तो अधिकतम तकनीकी अंक प्राप्त करने कवाले का चयन किया जाएगा।

vi. **वित्तीय बोलियों की आवश्यकताः-**

क. बोलीदाता को लेनदेन के लिए रुपयों में एकमुश्त शुल्क की कुल रकम को उद्धरित करना आवश्यक है। बोलीकर्ता द्वारा उद्धरित शुल्क में माल और सेवा कर (जीएसटी) शामिल नहीं होना चाहिए। परामर्शदाता द्वारा जमा किए गए चालान/बिल के अनुसार लागू जीएसटी सहित शुल्क का भुगतान उन्हें, भारत सरकार द्वारा लागू किए गए स्रोत से कर की कटौती (टीडीएस) के उपरांत किया जाएगा।

ख. शुल्क भारतीय मुद्रा 'रुपए'(INR) में उद्धरित किया जाना चाहिए और न्यूनतम 1 रुपया अथवा रुपयों में होना चाहिए, अन्यथा वित्तिय बोली रद्द कर दी जाएगी। शुल्कों के भुगतान के लिए बिल तैयार करते समय अलग-अलग करों को अलग-अलग दर्शाया जाना चाहिए। सभी बिल कार्य के सफलतापूर्वक सम्पन्न हो जाने के पश्चात् ही देय होंगे।

ग. विभाग द्वारा भुगतान, परामर्शदाता के बैंक खाते में निधियों का हस्तातंरण करके अथवा डिमांड ड्राफ्ट/चेक या ई-हस्तांतरण के माध्यम से किया जाएगा।

घ. यात्रा संबंधी व्यय और सभी प्रकार के व्यय जिनमें सावधानी-पूर्वक किए जाने वाले व्यय भी शामिल हैं, उन्हें परामर्शदाता को अलग से वहन करना होगा।

ङ. प्रचलित कानून के अनुसार बोली लगाने वाले को कर/शुल्क/उपकर इत्यादि का भुगतान करना होगा

vii. **परामर्शदाता को निर्देश:**

क. कार्य की प्रकृति: परामर्शदाता से यह आशा की जाती है कि वह पोस्त भूसी सांद्र से बने उत्पादों (सीपीए), सीपीएस से क्षाराभ को निकालने, एनडीपीएस अधिनियम के संबंध में अपनी सेवाएं प्रदान करेगा और भारत सरकार से निजी क्षेत्र में या लोक-निजी भागीदारी मॉडल पर प्रस्ताव के अनुरोध का प्रारूप तैयार करेगा। परामर्शदाता के कार्य की प्रकृति में अफीम पोस्त की खेती से पोस्त भूसी सांद्र के उत्पादन के लिए और ऐसे सीपीएस से क्षाराभ निकालने के लिए एक उत्पादन एकक बनाने में राजस्व विभाग की सहायता करना भी शामिल है।

ख. प्रस्तुतीकरण की आवश्यकताएं:

प्रस्ताव में परामर्शदाता के अनुभव का विवरण, सौंपे गए कार्यों की संख्या, वित्तीय टर्न ओवर इतयादि योग्यता मानदंड में विस्तृत रूप से होने चाहिए।

ग. **जमा कराने की अंतिम तारीख:** पात्र आवेदकों से यह अनुरोध किया जाता है कि वह ई ओ आई के इस निमंत्रण को प्राप्त करने के पश्चात **06/04/2021** या इससे पहले अपने ऑफर/प्रस्तावों को निम्नलिखित पर जमा करें-

निदेशक (स्वापक नियंत्रण)
राजस्व विभाग
कमरा सं. 48सी,
नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001

viii. परामर्शदाता द्वारा किए जाने वाले कार्य के संदर्भ में अब तक सीपीएस की प्रगति पर एक संक्षिप्त लेखन अनुबंध-11 में संलग्न है।

ix. यह ईओआई एक प्रस्ताव नहीं है और बिना किसी प्रतिबद्धता के जारी किया गया है किसी भी स्तर पर ईओआई को वापस लिए जाने का और या उसके किसी भाग में परिवर्तन करने का अधिकार राजस्व विभाग में निहित है। इसके अतिरिक्त राजस्व विभाग किसी भी बोलीदाता को अयोग्य घोषित भी कर सकता है, यदि किसी भी स्तर पर ऐसा किया जाना आवश्यक हो।

(दिनेश बौद्ध)
निदेशक (स्वापक नियंत्रण)
राजस्व विभाग
कमरा सं. 48सी,
नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001

अनुबंध-II

राजस्व विभाग की मंशा सीपीएस के उत्पादन और उससे क्षाराभ निकालने के लिए निविदा आमंत्रित करना है, इस संबंध को यह उल्लेखित है कि सीपीएस तकनीक भारत में नई है, सीपीएस की खेती विभिन्न कारकों यथा बोए गए पोस्त की किस्म, भूमि की लागत, मजदूरी और अन्य कृषि इनपुट आदि पर निर्भर करती है, अत: सीपीएस खेती और संबंधित प्रौद्योगिकी के वित्तीय पहलू सहित विभिन्न पहलूओं को समझने के लिए, परीक्षण के आधार पर खेती के प्रस्ताव को विचार में लिया गया है, तदनुसार, दो भारतीय कंपनियों को दो फसल वर्षों के लिए परीक्षण के आधार पर खेती करने को अनुमति दी गई है, ईओआई के नियमों और शर्तों के अनुसार आवेदकों को डीओआर के साथ परीक्षण के परिणाम को साझा करना होगा।

फसल वर्षों 2017-18 और 2018-19 को दो फसल वर्षों में विभिन्न स्थानों पर विभिन्न किस्म के बीजों पर परीक्षण आधारित खेती की गई और उनके परिणाम को क्रमश: फरवरी और जनवरी 2020 में प्रस्तुत किया गया था। एक फर्म ने वर्तमान में की गई खेती की फसल से पोस्त भूसी की खरीद की और सीपीएस प्रणाली से उगाई गई, उसी फसल से प्राप्त फसल का विश्लेषण भी किया उन्होंने ग्रीन हाउस पर्यावरण के तहत हाइड्रोपोनिक, एयरपोनिक विधियों से भी सीपीएस की खेती की दूसरी फर्म ने यूनाइटेड किंगडम और आस्ट्रेलिया से बीजों का आयात किया और कृषि विश्वविद्यालय के साथ मिलकर खेती की। उन्होंने सीपीएस का उत्पादन करने के लिए और उससे क्षाराभ निकालने के लिए आस्ट्रेलिया को पोस्त भूसी का निर्यात किया।

उपरोक्त परीक्षण आधारित खेती के परिणाम इस प्रकार हैं-

क. अफीम की गोद से वर्तमान निष्कर्षण विधि की तुलना में सीपीएस निष्कर्षण विधि में वर्तमान फसल से क्षाराभ अधिक निकाला गया।

ख. सीपीएस किस्मों की खेती ग्रीन हाडस पर्यावरण में भी की जा सकती है,

ग. यह भी संभावना है कि ऊर्ध्वाकार इनडोर ग्रीन हाउस (हाइड्रोपोनिक और एयरोपोनिक) में नियंत्रित तापमान और आर्द्रता के उपयोग से, उसी भू क्षेत्र से एक वर्ष में 2-3 फसल चक्र प्राप्त किए जा सकते हैं और इससे कीटनाशकों/खरपतवार नाशकों की आवश्यकता को भी समाप्त किया जा सकेगा।

घ. विशिष्ट सीपीएस किस्म के आयातित को भारतीय परिस्थितियों में सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है।

ङ. वर्तमान कृषकों द्वारा बोए गए बीजों की तुलना में आयातित बीजों से स्वापक के कच्चे माल की उपज काफी अधिक है,

च. सीपीएस, बीज विशेष क्षाराभ युक्त किस्म जैसे मार्फिनयुक्त किस्म, थेबाइनयुक्त किस्म इत्यादि में उपलब्ध हैं। अत: विशिष्ट सीपीएस किस्म के बीजों की खेती आवश्कतानुसार ऐसे विशिष्ट क्षाराभ को प्राप्त करने के लिए की जा सकती है।

छ. इन फार्मों को संबंधित राज्य से कब्जा लाइसेंस प्राप्त करने के संबंध में कानूनी बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिसकी आवश्यकता उसे अपने परिसर में अधिक मात्रा में क्षाराभ का विनिर्माण करने के लिए होती है।

उपरोक्त पृष्ठभूमि को देखते हुए, आरएफपी को तैयार करने के लिए और अफीम पोस्त फसल से सांद्र पोस्त भूसी(सीपीएस) के उत्पादन के लिए एक उत्पादन एकक की स्थापना को अंतिम रूप देने के लिए और आगे भी ऐसे सीपीएस से क्षाराभ के निष्कर्षण में राजस्व विभाग की सहायता के लिए संभावित सलाहकार की आवश्यकता है।